

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 122 / 2022

दायर दिनांक 15.07.2022

उनवान

1. शंकरलाल पिता नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कमला पुत्री परथु पत्नि भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी भंवरकिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शोभालाल पुत्र परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. पारसी बाई पत्नी गोवर्धन लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. किशनलाल पिता शोभालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. गोपाल लाल पिता शोभालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. नानुराम पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. नाबालिग मनोज पिता गोवर्धन संरक्षक सरपरस्त माता पारसी जाति जाट निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. बद्रीलाल पिता गोवर्धन जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक: 01.09.2022

—:निर्णय:—



प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहसीलदार कपासन के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम तुर्कियाखुर्द पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात स्थित है

जिसके आराजी संख्या 960/71 रकबा 0.76 है0 स्थित है व साबीक आराजी संख्या 53/1 रकबा 3 बिघा 10 बिस्वा स्थित है।

यह कि हमारी आराजी संख्या 960/71 के दक्षिण में स्थित आराजी संख्या 72 जो कि नानुराम पिता डालु जाट आदि निवासी तुर्कियाखुर्द के नाम दर्ज है।

यह कि आराजी संख्या 960/71 एवं आराजी संख्या 72 के मध्य की दक्षिण मेड पूर्व से पश्चिम सेटलमेन्ट से पूर्व मुन्दा न0 59 से होकर दक्षिण से उत्तर की मेड से मिलती थी। किन्तु वक्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों की त्रुटि से हमारी मेड को मुन्दे से 20 मीटर उपर उत्तर की ओर बढ़ाकर दक्षिण से उत्तर वाली मेड से मिलाया।

यह कि आराजी संख्या 72 का रकबा राजस्व रेकार्ड में 1.49 है0 है जबकि उक्त नक्शों का रकबा निकालने पर 1.58 है0 बनता है जो कि मूल जमाबन्दी रकबे से 0.09 है0 ज्यादा है मेरी आराजी संख्या 960/71 का जमाबन्दी में रकबा 0.76 है0 ज्यादा है मेरी आराजी संख्या 960/71 का जमाबन्दी में रकबा 0.76 है0 है जबकि वर्तमान नक्शों में 0.67 है0 ही बनता है। यह रकबे में भिन्नता सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से त्रुटि हुई है।

अन्त में प्रार्थना की कि नक्शों में दुरुस्ती कर प्रार्थी को राहत प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कपासन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की कि मूल प्रस्ताव नक्शा संशोधन जमाबन्दी में अंकन अनुसार क्षेत्रफल अनुसार ग्राम तुर्कियाखुर्द के आ0 नं0 960/71 रकबा 0.76 है0 है लेकिन नक्शों में क्षेत्रफल 0.67 है0 ही बनता है। व आराजी नम्बर 72 रकबा 1.49 है0 जमाबन्दी में रकबा दर्ज है लेकिन नक्शों में अंकित की रकबा बरारी करने पर 1.58 है0 बनता है। जो जमाबन्दी के मुकाबले 0.09 है0 क्षेत्रफल नक्शों में अधिक बनता है।

अतः वर्तमान आराजी नम्बर 72 के वर्तमान नक्शों में 0.09 है0 रकबे की कमी करके आ0 नं0 960/71 के नक्शों में रकबा 0.09 है0 जोडा जाना उचित है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर आराजी नं0 72 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 2 से 9 को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 6 व 8, 9 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 18.08.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट का अधिकार पत्र प्रस्तुत। व अप्रार्थी संख्या 3 व 7 व प्रार्थी की ओर से संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा निम्नानुसार है—

1. यह कि हम पक्षकारान के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है।
2. यह कि ग्राम तुर्कियाखुर्द की हाल आराजी नं0 960/71 का नक्शा साबिक नक्शा के अनुसार शुद्धि करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

3. यह कि ग्राम तुर्कियाखुर्द की हाल आराजी नं0 72 रकबा 1.49 है0 का रकबा के अनुसार मौके पर नपती करने में मुझ शंकरलाल को भी आपत्ति नहीं है तथा उक्त आराजी के रकबा के अनुसार मौके पर जहाँ नपती आयेगी उसके अनुसार यदि नक्शा में कोई शुद्धि करानी होगी तो मेरी दूसरी आराजी की तरफ का नक्शा में शुद्धि कराने में भी कोई एतराज नहीं करूंगा।

अतः प्रार्थना है कि उक्त राजीनामा के अनुसार नक्शा में शुद्धि कराने की कृपा करावें।

हमने राजीनामों की इबारत उभयपक्षकारान को पढकर सुनायी। सुन समझ कर स्वीकार करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट ने की। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आराजी संख्या 960/71 व 72 में जमाबन्दी में रकबा पूर्ण है परन्तु राजस्व नक्शों में रकबा कम ज्यादा है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा व उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामों को स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि ग्राम तुर्कियाखुर्द पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के आराजी नम्बर 72 के वर्तमान नक्शों में 0.09 है0 रकबे की कमी करके आराजी नम्बर 960/71 के वर्तमान नक्शों में 0.09 है0 तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस 05.07.2022 अनुसार जोडे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन